

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 28.08.2024\***

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- \*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- \*थाना महुली पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- \*थाना बखिरा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- \*थाना धनघटा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 5263 द्वारा सड़क मार्ग में बाईक को कार द्वारा पीछे से ठोकर लगने के कारण घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल-\*** पीआरवी 5263 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत पैड़ी पेट्रोल पम्प के पास से इवेन्ट संख्या 45639 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में बाईक को कार द्वारा पीछे से ठोकर लगने के कारण 01 व्यक्ति ( इस्तियाक अहमद पुत्र मोहम्मद अली ग्राम वासिन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया तथा घटनास्थल पर थाना दुधारा की फोर्स मौके पर मौजूद है । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**\*पीआरवी स्टाफ-\*** आ० ओमशंकर, हो०गा०चा० वीरेन्द्र कुमार ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनों से 1,08,000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 28.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनों से 1,08,000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 28.08.2024\***

**\*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में  
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **\*श्री केशवनाथ\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना मेंहदावल पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 188/2024 धारा 70(2), 127(1), 352, 351(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त उमेश गुप्ता पुत्र बकिके उर्फ रामकृपाल गुप्ता निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जगतगुरु इण्टरमीडिएट कालेज मेंहदावल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 24.07.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय खाना किया गया था । मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त उमेश गुप्ता उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 28.08.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रामकृपाल सिंह, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 दुर्गेश यादव ।

**\*जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 28.08.2024\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने व आपराधिक षड्यंत्र के मामले में वाँछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 364/2024 धारा 363/366/376(3)/120(बी)भा0द0वि0 व 5/6/16/17 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(5), 3(2)(5)क एससी एसटी एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्ता नाम पता शाहिदा खातून पत्नी मो0 इदरीश निवासी बड़ी पठखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 28.08.2024 को उसके घर ग्राम बड़ी पठखौली के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं बढोत्तरी करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री दुर्गविजय सिंह, म0का0 ममता यादव ।

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 28.08.2024\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में**

**वाँछित 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में **\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 647/2024 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वाँछित बाल अपचारी को उसके घर ग्राम जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना त्रिखलीलाबाद पर दिनांक 26.08.2024 को उक्त बाल अपचारी द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बाल अपचारी को आज दिनांक 28.08.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण\*-** प्र0नि0 कोतवाली खलीलाबाद श्री सतीश कुमार सिंह, हे0का0 इल्ताफ खां, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 कृष्णानन्द शाह, म0का0 दुर्गावती खरवार ।

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 28.08.2024\***

**\*“ऑपरेशन कनक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 7500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीट्रिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में **\*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीट्रिंग सेल\*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 28.08.2024 को श्रीमान **\*जिला सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर\*** द्वारा **\*थाना धर्मसिंहवा\*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 654/2017 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के मामले में अभियुक्तगण रामेश्वर पाठक उर्फ भोला पाठक निवासी बौरव्यासस थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को एसटी नं0 188/17 मु0अ0सं0 654/17 थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर प्रकरण में धारा 468ए, 304बी भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से दोषसिद्ध किया जाता है और धारा 302 भादवि के वैकल्पिक आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण दुर्गावती देवी, बसंती देवी, प्रताप नरायन पाठक, पवन पाठक, नवल पाठक व महेन्द्र पाठक निवासीगण बौरव्यासस थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के आरोप से एवं धारा 302 भादवि के वैकल्पिक आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण रामेश्वर पाठक उर्फ भोला पाठक, दुर्गावती देवी, बसंती देवी, प्रताप नरायन पाठक, पवन पाठक, नवल पाठक व महेन्द्र पाठक जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोदित किया जाता है। अभियुक्त रामेश्वर पाठक उर्फ भोला पाठक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये, सिद्धदोष रामेश्वर पाठक उर्फ भोला पाठक को सत्र परीक्षण संख्या 188/17 मु0अ0सं0 654/17 थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 304बी भादवि में 07 एक वर्ष की अवधि के कारावास से, अन्तर्गत धारा 498ए भादवि में 01 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 5000रु0 के अर्थदण्ड से तथा अन्तर्गत धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 06 माह के कारावास व 2500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। समस्त सजाएं साथ साथ चलेंगी, प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सिद्धदोष को 01 माह का कारावास भोगना होगा। सिद्धदोष रामेश्वर पाठक उर्फ भोला पाठक को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाये।